Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

मार्च 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

18/03/2024 से 24/03/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत निर्वाचन आयोग – कार्य एवं शक्तियों की वर्तमान प्रासंगिकता	1 – 11
2.	विलुप्त होती भाषा के संदर्भ में त्रि – भाषा सूत्र	11 – 20
3.	भारत – भूटान द्विपक्षीय बहुआयामी संबंध	20 – 28
4.	भारत में वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 का महत्व	29 – 35
5.	सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थ	35 – 42
6.	जल संरक्षण : प्रवंधन एवं संवर्धन	42 – 48

करंट अफेयर्स मार्च 2024

भारत निर्वाचन आयोग – कार्य एवं शक्तियों की वर्तमान प्रासंगिकता

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , भारत निर्वाचन आयोग , मुख्य चुनाव आयुक्त , चुनाव आयुक्त ,मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति , सेवा शर्त एवं कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 , कानून एवं न्याय मंत्रालय, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति , नेता प्रतिपक्ष।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने आगामी 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 की तारीखों को जारी कर दिया है।
- भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार आगामी लोकसभा के लिए आम चुनाव सात चरणों में और कुल 44 दिनों में संचालित होगी।
- 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव के मतों की गणना 04 जून 2024 को संपन्न होगी।
- हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने भारत में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव की

तिथियों की घोषणा से पहले ही निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है।

- भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी 2024 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से उपजी चुनाव आयुक्तों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि' नए चुनाव आयुक्तों के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू का नाम तय किया गया है।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने दो चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति ने चुनाव आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है।
- पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे डॉ. सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रहें हैं।
- वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही भारत निर्वाचन आयोग के एकमात्र सदस्य के रूप में इस पद पर आसीन थे।

भारत निर्वाचन आयोग का परिचय :

- भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
- भारत में इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण/ संस्था है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत की संसद, राज्य विधानमंडल के साथ – ही – साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के अधीक्षण,निर्देशन और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करने एवं उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है| अतः निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए एक उत्तरदायी शीर्ष संस्था है।
- भारत के राज्यों में होने वाले पंचायत और नगरपालिका या नगरनिगम की चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अतः राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं

के चुनावों संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी संस्था होता है।

भारत निर्वाचन आयोग की संरचना :

- सन 1950 में गठित भारत निर्वाचन आयोग में मूल रूप से केवल एक चुनाव आयुक्त होता था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के फलस्वरूप इसे एक बहु-सदस्यीय संस्था बना दिया गया है ।
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय – समय पर चुना जाता है वे भी इसमें शामिल होते हैं।
- वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है जो IAS रैंक का अधिकारी होता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023

- यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
- इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनका वेतन एवं उनके निष्कासन से संबंधित प्राव-धान शामिल है।

इस विधेयक के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया :

- भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- इस चयन समिति में सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और यदि लोकसभा में किसी भी दल को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें शामिल होगा।
- इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी।
- इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पदों पर विचार करने के लिए पाँच व्यक्तियों / सदस्यों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति (Search Committee) की स्थापना का प्रस्ताव है।
- खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सचिव के पद से निम्न पद वाले दो सदस्य भी शामिल होंगे तथा उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान तथा अनुभव होना चाहिए।

इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन एवं शर्तों में परिवर्तन :

- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन एवं सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान ही होंगी।
- 1991 के अधिनियम के तहत इनका वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता था।

चुनाव आयुक्त का कार्यकाल :

- भारत के संविधान में चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल संबंधी कोई स्पष्ट निर्देश नही है, लेकिन भारत के संविधान संशोधन 1991 के चुनाव आयोग अधिनियम के अनुसार, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अधिक-तम छह साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं। यह कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से गिना जाता है।
- इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और उनके समान ही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
- भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त आम तौर पर अक्सर भारतीय प्रशासनिक सेवा से भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होता है। जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से अधिकार प्राप्त होता है और उनका अधिकार संरक्षित होता है।
- भारत निर्वाचन आयोग, भारत में उन कुछ संवैधानिक प्राधिकरणों/ संस्थाओं में से एक है जो स्वायत्त रूप से काम करते हैं। ऐसे अन्य संस्थाओं में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था शामिल हैं।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया :

- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग के द्वारा भारत की संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
- इनको हटाने का आधार दुर्व्यवहार करने, किसी राजनीतिक दल के साथ पक्षपात करने या अपने कार्य को पूरा करने में असक्षम सिद्ध होने पर ही किया जा सकता है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में अभी किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया है।
- भारत के निर्वाचन आयोग में सदस्य के रूप में पदस्थापित अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- हालाँकि, इस प्रावधान को भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है।

- वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी. इस सिफ़ारिश के पीछे का कारण मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चावला की आगामी नियुक्ति और उनके कथित पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दल व्यवहार के कारण हितों का संभावित टकराव था। हालाँकि, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राय दी कि ऐसी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अगले महीने गोपालस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद, चावला ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला और 2009 के लोकसभा आम चुनावों की निगरानी भी की और लोकसभा चुनाव संपन्न भी करवाया था ।

भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ :

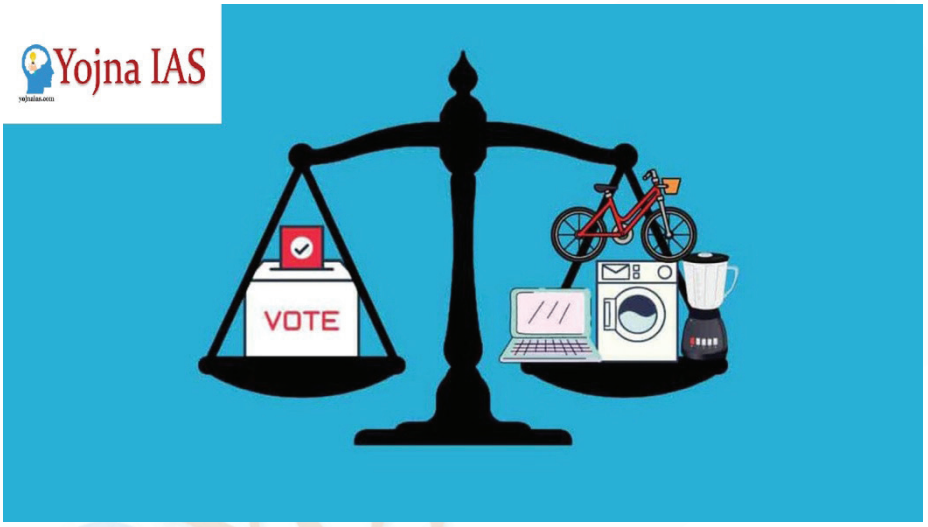

भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. प्रशासनिक शक्तियाँ
2. सलाहकारी शक्तियां
3. अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ

भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियाँ :

- भारत निर्वाचन आयोग के अधीन परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार कार्य करने और विभिन्न चुनावों के लिए चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार है।
- इसके पास किसी भी राजनीतिक दल या इकाई को पंजीकृत और अपंजीकृत करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह भारत में होने वाले चुनाव अभियानों के लिए ' आदर्श आचार संहिता ' लागू करने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है ।
- इस आयोग के पास राजनीतिक दलों के चुनाव खर्चों की निगरानी करने की शक्ति है, जिससे सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है, चाहे उनका आकार और खर्च करने की क्षमता कुछ भी क्यों न हो।
- यह भारत के सिविल सेवा के विभिन्न विभागों से अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग की सलाहकारी शक्तियाँ :

- भारत निर्वाचन आयोग के पास संसद सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता और चुनाव में उसके लिए शर्तों का निर्धारण करने के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है।
- यह आयोग राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर संबंधित राज्य के राज्यपालों को सलाह भी देता है।
- यह भारत में होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देता है।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव के बाद के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है। संसद और राज्य विधानमंडलों से संबंधित विवादों को उच्च न्यायालयों में भेजा जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अर्ध – न्यायिक शक्तियाँ :

- भारत निर्वाचन आयोग के पास भारत के राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी गई मान्यता से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार प्राप्त है।
- इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के आवंटन से उत्पन्न विवादों से संबंधित मामलों के लिए अदालत के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त है।
- राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में कराए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोगों कोभारत निर्वाचन आयोग द्वारा सलाह दी जाती है और वे इसके प्रति जवाबदेह होते हैं।

चुनाव आयोग की शक्तियाँ भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित हैं, जिनमें शामिल हैं:

अनुच्छेद 324 : यह ईसीआई को राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय चुनावों की सीधे निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन की जिम्मेदारी देता है।

अनुच्छेद 325 : यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि मतदाता सूची में नामों को शामिल करना और बाहर करना भारतीय नागरिकता के आधार पर होना चाहिए । इसमें कहा गया है कि मतदान की उम्र से ऊपर के भारत के किसी भी नागरिक को नस्ल, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नामावली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए या विशेष मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 326 : यह अनुच्छेद निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है।

अनुच्छेद 327 : यह राष्ट्रीय चुनावों के संचालन के संबंध में ईसीआई और संसद की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 328 : यह राज्य-स्तरीय चुनावों के संबंध में राज्य विधानमंडलों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

अनुच्छेद 329 : यह चुनाव से संबंधित मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है जब तक कि विशेष रूप से अपने विचार प्रदान करने के लिए न कहा जाए।

भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ :

भारतीय चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **भारत निर्वाचन आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित है –**

1. **निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना :** भारत के निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनावों सहित विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह चुनाव की तारीखों की घोषणा से लेकर नतीजे घोषित करने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

2. **मतदाता पंजीकरण :** भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यह मतदाता पंजीकरण अभियान आयोजित करता है और मतदाता सूचियों को अद्यतन करता है एवं पात्र व्यक्तियों को मतदाता पहचान पत्र जारी करता है।

3. **स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना :** निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ईसीआई चुनावी सीमाओं का परिसीमन करता है। यह समय-समय पर जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं की समीक्षा और संशोधन करता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की लगभग समान संख्या बनाए रखने का प्रयास करता है।

4. **चुनाव कार्यक्रम घोषित करना :** भारत निर्वाचन आयोग भारत में चुनावों का कार्यक्रम निर्धारित करता है, जिसमें नामांकन दाखिल करने, मतदान और मतगणना की तारीखों की घोषणा शामिल होती है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया उचित समय सीमा के भीतर ही आयोजित की जाए।

5. **आदर्श आचार संहिता लागू करना :** भारत में चुनावों के दौरान नैतिक मानकों और निष्पक्ष प्रथाओं को बनाए रखने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, सत्ता के दुरुपयोग या अनुचित लाभ को रोकती है।

6. **चुनावी कानून और नियम सुनिश्चित करना :** भारत निर्वाचन आयोग चुनावी कानूनों और नियमों को बनाता और लागू करता है जो चुनावों के संचालन को नियंत्रित करते हैं। यह पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संविधान और प्रासंगिक कानून का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

7. **चुनाव पर्यवेक्षक को तैनात करना :** भारत में चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग चुनाव

पर्यवेक्षकों को तैनात करता है। ये पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों की देखरेख करते हैं, मतगणना प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं और किसी भी अनियमितता या उल्लंघन की रिपोर्ट ईसीआई को देते हैं।

8. **मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित करना :** भारत में एक लोकतांत्रिक और सक्रिय नागरिक वर्ग के महत्व को पहचानते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों के बीच मतदान के महत्व और मतदाता के रूप में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य अंततः मतदान प्रतिशत बढ़ाना और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है।

9. **राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना :** भारत निर्वाचन आयोग विशिष्ट मानदंडों के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त पार्टियाँ वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करें, आचार संहिता का पालन करें और चुनाव में भाग लेने के लिए अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

10. **चुनाव निगरानी और प्रवर्तन तथा चुनाव सुरक्षा प्रदान करना :** भारत निर्वाचन आयोग भारत की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए,चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह चुनावी कदाचार को रोकने, चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उपाय करता है।

11. **लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना :** भारत निर्वाचन आयोग को राज्य विधानसभाओं, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय शासी निकायों सहित विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो।

12. **प्रौद्योगिकी प्रगति :** भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) ने मतदान में क्रांति ला दी है, जिससे भारत में चुनाव के दौरान वोट डालने और वोटों की गिनती के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका उपलब्ध हो गया है।

- **भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को सबसे पहले अपनाने वाला देश था, जिसने 2014 में संसदीय चुनावों के दौरान इसे देश भर में लागू किया। भारत की बड़ी और विविध आबादी को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसमें निरक्षर नागरिकों वाले कई ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।**

- **भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के महत्व को 1990 से 1996 तक टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान व्यापक रूप से मान्यता मिली। शेषन भारतीय चुनावों में भ्रष्टाचार और हेरफेर से निपटने के अपने दृढ़ प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं ।**

भारत के चुनाव आयोग का महत्व :

- भारत के चुनाव आयोग ने 1952 से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज, यह चुनावी प्रक्रिया में लोगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करता है। आयोग ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बनाए रखने में विफल रहने पर मान्यता रद्द करने की धमकी देकर राजनीतिक दलों

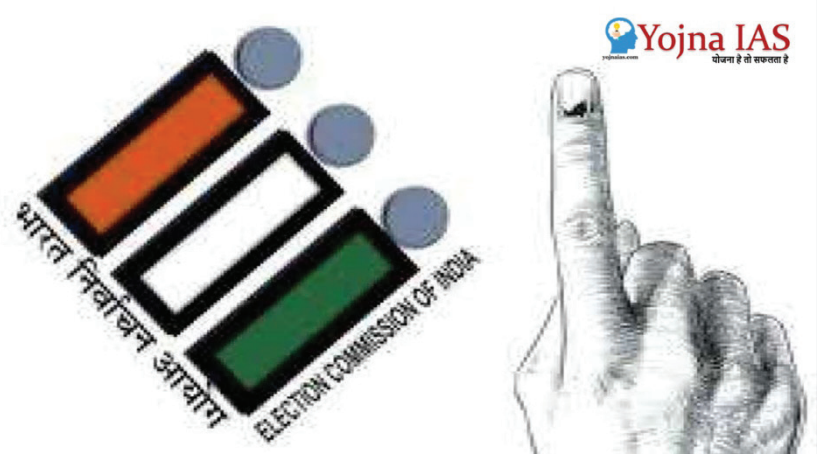

के बीच प्रभावी ढंग से अनुशासन स्थापित किया है। यह चुनावी शासन पर अपनी निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण में समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और कानून के शासन के संवैधानिक मूल्यों को कायम रखता है।

- चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के साथ आयोजित किए जाएं। यह सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक समावेशी और मतदाता-केंद्रित वातावरण बनाने का प्रयास करता है। आयोग चुनावी प्रक्रिया के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ जुड़ता है। यह राजनीतिक दलों, मतदाताओं, चुनाव पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच चुनावी प्रक्रिया और शासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत की चुनावी प्रणाली में विश्वास और विश्वास बढ़ाना है।

भारत में चुनाव आयोग के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ :

- भारत का चुनाव आयोग मौद्रिक प्रभाव से बढ़ती हिंसा और चुनावी कदाचार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधी-करण हो रहा है।
- आयोग के पास राजनीतिक दलों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए पर्याप्त अधिकार और संसाधनों का अभाव है, जिसमें आंतरिक-पार्टी लोक-तंत्र को लागू करना और पार्टी के वित्त को विनियमित करना शामिल है।
- कार्यपालिका से चुनाव आयोग की घटती स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं हैं, जिससे इसकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खराबी, हैकिंग या वोट दर्ज करने में विफल रहने के आरोपों ने चुनाव आयोग में जनता के विश्वास को काफी कम कर दिया है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत का निर्वाचन आयोग चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में सहायक है। निष्पक्ष चुनाव कराने, मतदाताओं को जागरूक और अपने मत के महत्व की शिक्षा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करने के अपने प्रयासों के माध्यम से, वह भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उसे अपने निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनता को जागरूक और भारत की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए।
- भारतीय चुनाव आयोग, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है जिसे भारत में चुनावी प्रक्रिया की देखरेख, प्रबंधन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः उसे निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया को संपन्न सु-निश्चित करना चाहिए।

- चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए और नागरिक और पुलिस नौकरशाही के निचले स्तर के भीतर किसी भी मिलीभगत की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए जो सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले सकती है। इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर चल रहे विवादों के बीच जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए आयोग को अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) की तैनाती बढ़ानी चाहिए।
- आयोग के अधिदेश और इसके कामकाज को सुविधाजनक बनाने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी और चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।
- भारत में नैतिक और सक्षम व्यक्ति ही चुनाव आयोग सहित अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नेतृत्व पदों पर आसीन हों, हमें ऐसे सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित करना होगा। इससे आयोग की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्य के उपसभापति शामिल होंगे। सभा के सदस्य के रूप में. यह कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया को बढ़ाने और आयोग के भीतर सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।
- भारत निर्वाचन आयोग का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पक्ष में बचाव करना सही है, वहीं इन मशीनों पर जनता का भरोसा सुनिश्चित करने के लिए उसे और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में चुनावी बांड के द्वारा चंदा देने वालों के निजता के अधिकार के दावे और मतदाता के सूचना के अधिकार के बीच के टकराव में, ईसीआई का टालमटोल वाला रवैया एकदम अनुचित है।
- भारत निर्वाचन आयोग को यह पता होना चाहिए कि जब भारत में इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली का आकलन करने की बात आती है, तो सभी की निगाहें उसी पर होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा किए गए मतदान का निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बची रह सके और हम भारत को एक समावेशी और लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने के लिए उनका अगुआ और पथ – प्रदर्शक बन सके। तभी सही मायने में लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित हो सकती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राष्ट्र रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन एवं सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के

समान होंगी।

2. इस विधेयक में खोज समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसमें कैबिनेट सचिव के पद से निम्न पद वाले दो सदस्य भी शामिल होंगे।

3. भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 मई 1950 को हुई थी।

4. यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 3

(B). केवल 2 और 4

(C) केवल 3

(D) केवल 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि क्या भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त शक्तियां वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने में प्रासंगिक है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

विलुप्त होती भाषा के संदर्भ में त्रि – भाषा सूत्र

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, मातृभाषा, संविधान की अष्टम अनुसूची, राजभाषा, आधिकारिक भाषा, कोठारी आयोग एवं त्रि – भाषा सूत्र , राजभाषा संकल्प 1968 एवं त्रि- भाषा सूत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत में स्कूली स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के महत्त्व पर जोर देते हुए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश के सभी राज्यों को अपनाने के लिए कहा था।
- हाल ही में पूरे विश्व ने विश्व में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए और मातृभाषा के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 21 फरवरी को ' **अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस** ' के रूप में मनाया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित त्रि – भाषा सूत्र को लागू करने में भारत के कुछ राज्यों ने खासकर तमिलनाडु,

पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य ने विरोध किया है और हिंदी को जबरदस्ती थोपने की बात कही है।

- हाल ही में जारी विश्व के अनेक देशों में खतरे में भाषाओं के लिए जारी होने वाली रिपोर्ट यूनेस्को एटलस के अनुसार, विश्व में खतरे में होने वाली भाषाओं के वर्तमान में 577 भाषाएँ गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया हैं।

त्रि – भाषा सूत्र की परिचय :

भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) ने वर्ष 1968 की नीति में उल्लि-खित किया था। **जो निम्नलिखित है –**

(1) पहली भाषा- अध्ययन की जाने वाली पहली भाषा मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा।

(2) दूसरी भाषा – हिन्दी भाषी राज्य- कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी गैर-हिंदी भाषी राज्य- हिंदी या अंग्रेजी होगी

(3) तीसरी भाषा- हिंदी भाषी राज्य- तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा (जो दूसरी भाषा के रुप में न लिया गया हो) गैर-हिंदी भाषी राज्य- तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा (जो दूसरी भाषा के रुप में न लिया गया हो)

कोठारी आयोग एवं त्रिभाषा सूत्र (1964 – 1966) :

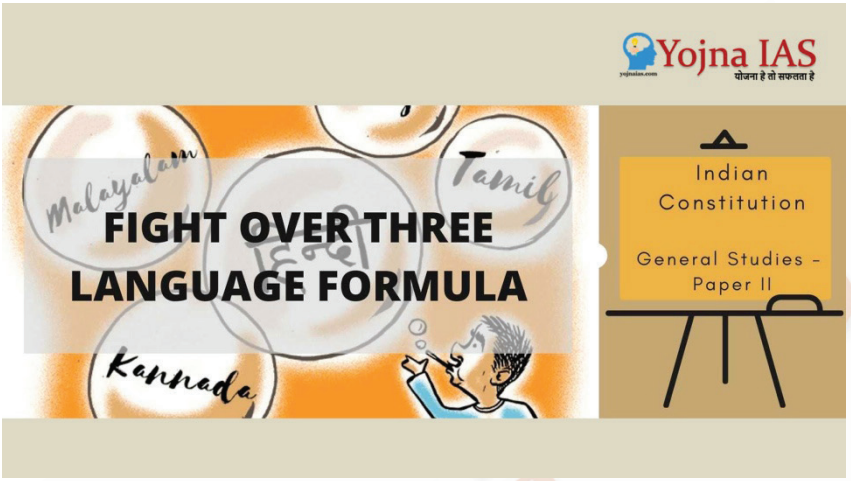

- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है।
- इसकी अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी ने की थी, जो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के भी अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने एवं सलाह देने के लिए एक सर्वोच्च आयोग था।
- कोठारी आयोग ने ही सिफ़ारिश की थी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अथवा दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक के अध्ययन की व्यवस्था एवं अहिंदी भाषी राज्यों में राज्य भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। इसी व्यवस्था को त्रि – भाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है।

राजभाषा संकल्प 1968 एवं त्रि – भाषा सूत्र :

- कोठारी आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत की संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसे **' राजभाषा संकल्प 1968 '** के नाम से जाना जाता है।
- राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार- भारत की एकता एवं अखंडता की भावना को बनाए रखने एवं देश के विभिन्न भागों में जनता में संपर्क सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि भारत के केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित किया जाएगा।
- अतः इस संकल्प में यह पारित किया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अथवा दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक के अध्ययन की व्यवस्था एवं अहिंदी भाषी राज्यों में राज्य भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था हो।

नई शिक्षा नीति, 2020 एवं त्रि – भाषा सूत्र :

भाषा	प्रथम भाषा बोलने वाले	प्रथम भाषा बोलने वाली कुल जनसंख्या प्रतिशत में	दूसरी भाषा बोलने वाले	तीसरी भाषा बोलने वाले	कुल वक्ता	कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कुल वक्ता
हिन्दी	528347193	43.63	139000000	24000000	692000000	57.1
अंग्रेज़ी	259678	0.02	83000000	46000000	129000000	10.6
बंगाली	97237669	8.3	9000000	1000000	107000000	8.9
मराठी	83026680	7.09	13000000	3000000	99000000	8.2
तेलुगू	81127740	6.93	12000000	1000000	95000000	7.8
तामिल	69026881	5.89	7000000	1000000	77000000	6.3
गुजराती	55492554	4.74	4000000	1000000	60000000	5
उर्दू	50772631	4.34	11000000	1000000	63000000	5.2
कन्नड़	43706512	3.73	14000000	1000000	59000000	4.94
ओडिया	37521324	3.2	5000000	390000	43000000	3.56
मलयालम	34838819	2.97	500000	210000	36000000	2.9
पंजाबी	33124726	2.83	2230000	720000	36600000	3
संस्कृत	0	0	1230000	1960000	3190000	0.19

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए भारतीय विज्ञान अकादमी बैंगलोर के अध्यक्ष और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव एवं भारत के प्रसिद्द वैज्ञानिक डॉ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। चूंकि त्रिभाषा सूत्र को पूरी तरह व्यावहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सका था अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि उपर्युक्त त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा। इस पर कई राज्यों ने विराध किया है तथा आपत्ति भी जताई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार –

- मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा-इसमें कहा गया है कि ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा या कम से कम मातृभाषा होगी जिससे 8 वीं कक्षा या उससे आगे तक बढ़या जा सकता है।
- भारत के 2 भाषाओं का अध्ययन -छात्र को तीन भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना होगा।
- त्रि – भाषा सूत्र को लागू करते समय राज्य, आम जनता, लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान रखा जाएगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।
- राज्य, भारत का कोई भी क्षेत्र और यहाँ तक छात्र भी तीन भाषाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
- कक्षा 6 या 7 में पढ़ने वाले छात्र उन तीन भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को बदल सकते हैं।
- इससे बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।
- ऐसी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है जो किसी भी राज्य पर थोपी जाए। यह राज्य को तय करना है कि – **" उनकी पसंद की भाषा कौन सी है।"**

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रि – भाषा फॉर्मूला का कार्यान्वयन :

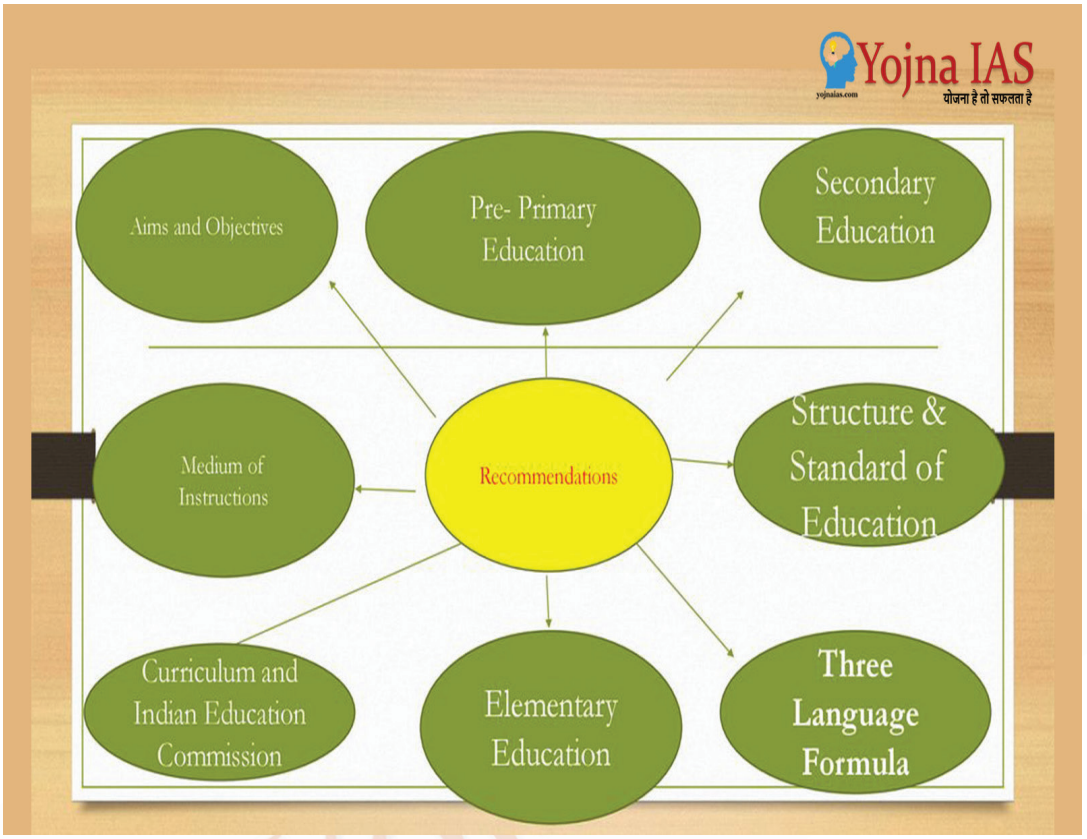

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में स्कूली स्तर पर शिक्षा देने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान किया गया है। इस नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना :

- यह नीति बच्चों को भाषाएँ सीखने में मदद करने के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देती है । इसका सुझाव है कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे अपनी मूल भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करें।

लचीलापन :

- इस नई नीति में यह भाषा सीखने के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देती है। तीसरी भाषा अंग्रेजी या छात्र की पसंद की कोई अन्य भाषा हो सकती है, जबकि पहली दो भाषाएँ उनके राज्य या क्षेत्र की मूल भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, जहां हिंदी को थोपे जाने को लेकर चिंताएं हैं, इस प्रावधान से इस फॉर्मूले का विरोध होने की उम्मीद बहुत ही कम है।

शिक्षकों का प्रशिक्षण :

- इस नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों को बहुभाषावाद का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और स्थानीय भाषाओं में पारंगत शिक्षकों को खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए।

परीक्षा प्रणाली एवं छात्रों के समग्र मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन :

- इस नीति के अनुसार, छात्रों का मूल्यांकन अंग्रेजी सहित सभी तीन भाषाओं पर उनकी पकड़ के आधार पर किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता :

- छात्रों को अपनी मातृभाषाओं में सीखने में सक्षम बनाने के लिए, यह नीति मूल भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन संसाधनों और शिक्षण सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

वर्तमान समय में भारत में त्रि – भाषाई सूत्र की जरूरत :

- इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अतः भारत में स्कूली स्तर पर इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यीयता (Multilingualism) और देश भर में राष्ट्रीय सद्भाव (National Harmony) को बढ़ावा देना है।

भारत में त्रि – भाषा सूत्र के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याएँ :

- तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने स्कूलों में हिंदी सिखाने के लिये तैयार नहीं हैं। और न ही किसी हिंदी भाषी राज्य ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल किया है।
- भारत में राज्य सरकारों के पास त्रि-स्तरीय भाषाई फॉर्मूले को लागू करने के लिए अक्सर पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। संसाधनों की अपर्याप्तता भी भारत में स्कूली स्तर पर त्रि – भाषा सूत्र को लागू करने में एक महत्वपूर्ण बाधात्मक पहलू है।

भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :

Languages of India

Schedule 8 of the Constitution of India

As per Articles 344(1) and 351 of the Indian Constitution, the eighth schedule includes the recognition of the following 22 languages

Sr.	Language	SR	Language	SR	Language
1	Assamese	8	Kashmiri	15	Odia
2	Bengali	9	Konkani	16	Punjabi
3	Bodo	10	Maithili	17	Sanskrit
4	Dogri	11	Malayalam	18	Santhali
5	Gujarati	12	Manipuri (Meitei)	19	Sindhi
6	Hindi	13	Marathi	20	Tamil
7	Kannada	14	Nepali	21	Telugu
22	Urdu				

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

- भाषा और संस्कृति का आपस में गहरा और पूरक संबंध होता है क्योंकि भाषा और संस्कृति एक दूसरे के परस्पर विरोधी

नहीं बल्कि दोनों ही लोगो के आपसी पहचान से जुड़े होते हैं।

- भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची भारत की भाषा के प्रावधानों से संबंधित है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में शिक्षा राज्य सूची का विषय है। अतः स्कूली स्तर पर शिक्षा के लिए नीति – निर्माण करने का अधिकार भारत के राज्यों के पास है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि- भारत में किसी भी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि – **" नागरिकों के किसी भी वर्ग "जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है" को उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा।"**
- **अनुच्छेद 343 :** भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने के शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा।
- **अनुच्छेद 346 :** यह अनुच्छेद भारत में राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार, उक्त कार्य के लिये **"अधिकृत"** भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 347:** किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।
- **अनुच्छेद 350 (A) :** इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 350 (B) :** यह अनुच्छेद भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त होने वाले उस विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा तथा वह अपना रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबंधित राज्य/राज्यों की सरकारों को भेज सकता है।
- **अनुच्छेद 351 :** भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

विश्व में सर्वाधिक लुप्तप्राय भाषाएँ :

- कोई भी भाषा या बोली विलुप्त होने से पहले वह कई चरणों से गुजरती हैं। इनमें से पहला चरण संभवतः खतरे में है, जो तब होता है जब एक बाहरी भाषा व्यवसाय और शिक्षा की प्रमुख भाषा बन जाती है जबकि संभावित खतरे वाली भाषा घर पर वयस्कों और बच्चों दोनों द्वारा बोली जाती रहती है। जैसे-जैसे प्रमुख भाषा संभावित खतरे वाली भाषा को कम

से कम उपयोगी बनाती जाती है, भाषा लुप्तप्राय स्थिति में चली जाती है।

भाषा के संदर्भ में कोई भी भाषा विलुप्तिकरण से पहले वह निम्नलिखित चरणों से गुजरती हैं:

1. **गंभीर रूप से संकटग्रस्त भाषा ,**
2. **मरणासन्न भाषा,**
3. **विलुप्त भाषा।**

- विश्व की खतरे में भाषाओं के यूनेस्को एटलस के अनुसार, वर्तमान में 577 भाषाएँ गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं। इस वर्गीकरण का अर्थ यह है कि उस भाषा में सबसे पुरानी जीवित पीढ़ी में केवल कुछ ही लोग हैं जो उस भाषा को बोल या समझ सकते हैं और इनमें से कई व्यक्ति पूरी तरह से उस भाषा में धाराप्रवाह बोलने की स्थिति में भी नहीं हैं।
- विश्व की करीब 537 भाषाओं को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल सबसे पुरानी जीवित पीढ़ी द्वारा किया जाता है।
- इन 577 गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषाओं में से, कई भाषाओं में केवल 1 वक्ता ही जीवित बचा है और कई भाषा तो बहुत वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं।
- इनमें से कुछ सबसे आलोचनात्मक भाषाओं में शामिल हैं – यामाना (चिली में बोली जाने वाली), ताजे (इंडोनेशिया में बोली जाने वाली), पेमोनो (वेनेजुएला में बोली जाने वाली), लाउआ (पापुआ न्यू गिनी में बोली जाने वाली), कुलोन-पाज़ेह (ताइवान में बोली जाने वाली), कैक्साना (ब्राजील में बोली जाने वाली), डायहोई (ब्राजील में बोली जाने वाली), डंपेलस (इंडोनेशिया में बोली जाने वाली), बिक्या (कैमरून में बोली जाने वाली), और अपियाका (ब्राजील में बोली जाने वाली)। इन भाषाओं के अकेले शेष वक्ता को, कई मामलों में, कई वर्षों से नहीं सुना गया है।
- वास्तव में, कुछ भाषाविदों का मानना है कि इनमें से अधिकांश भाषाएँ तो बहुत वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, केवल कुलोन-पज़ेह को छोड़कर, जो अभी भी एक छोटी आबादी द्वारा दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षण प्रणाली में यदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा सूत्र के पूरी तरह लागू होने पर हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को समृद्ध होने का मिलेगा अवसर मिलेगा एवं भारत में बहुभाषावाद एवं सांस्कृतिक सद्भाव में वृद्धि होगी।
- भाषा के विलुप्तिकरण के संदर्भ में त्रि – भाषा सूत्र से देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है और देश के विभिन्न भागों में जनता में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के साथ – ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी विकास होगा।
- त्रि – भाषा सूत्र में हिन्दी भाषी एवं अहिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन की भी व्यवस्था की गयी है। हम सभी जानते हैं कि आज उच्च शिक्षा में ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं में अंग्रेजी भाषा का ही प्रभुत्व है एवं हिन्दी सहित एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अभी भी इसका अभाव है।
- अतः त्रि – भाषा सूत्र के द्वारा उच्च शिक्षा में ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं के विषयों को भारतीय भाषाओँ में अनुवादित

कर छात्रों को उनकी मातृभाषा में या उस राज्य से संबंधित क्षेत्रीय भाषाओँ में या हिंदी भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में डॉक्टरी की पढाई की भाषा के रूप में हिंदी भाषा का उपयोग होना है ।

- वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषा को भी विधि या कानून से संबंधित या विज्ञान और प्रद्यौगिकी से संबंधित शब्दों को मूल शब्द के रूप में ही शामिल कर लेना चाहिए ताकि वह भाषा और समृद्ध हो सके।
- कोई भी भाषा अगर लोक अर्थात लोक जीवन में बोली जाती है या स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग की जाती है तो वह भाषा या बोली सदैव जीवित रहेगी अन्यथा उस भाषा का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है या विलुप्त हो सकता है क्योंकि लोक संवेदना के चिन्तक कबीर ने भी कहा है कि – **" संसकिरत है कूप जल , भाखा बहता नीर।"** अतः भाषाई सत्ता के विरोध में उलझाने के बजाए हमें लोकभाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों रूप में स्वीकार कर भारतीय भाषा में शामिल कर लेना चाहिए ताकि वह और अधिक समृद्ध और लोकोपयोगी बन सके और उसका अस्तित्व भी बचा रह सके।

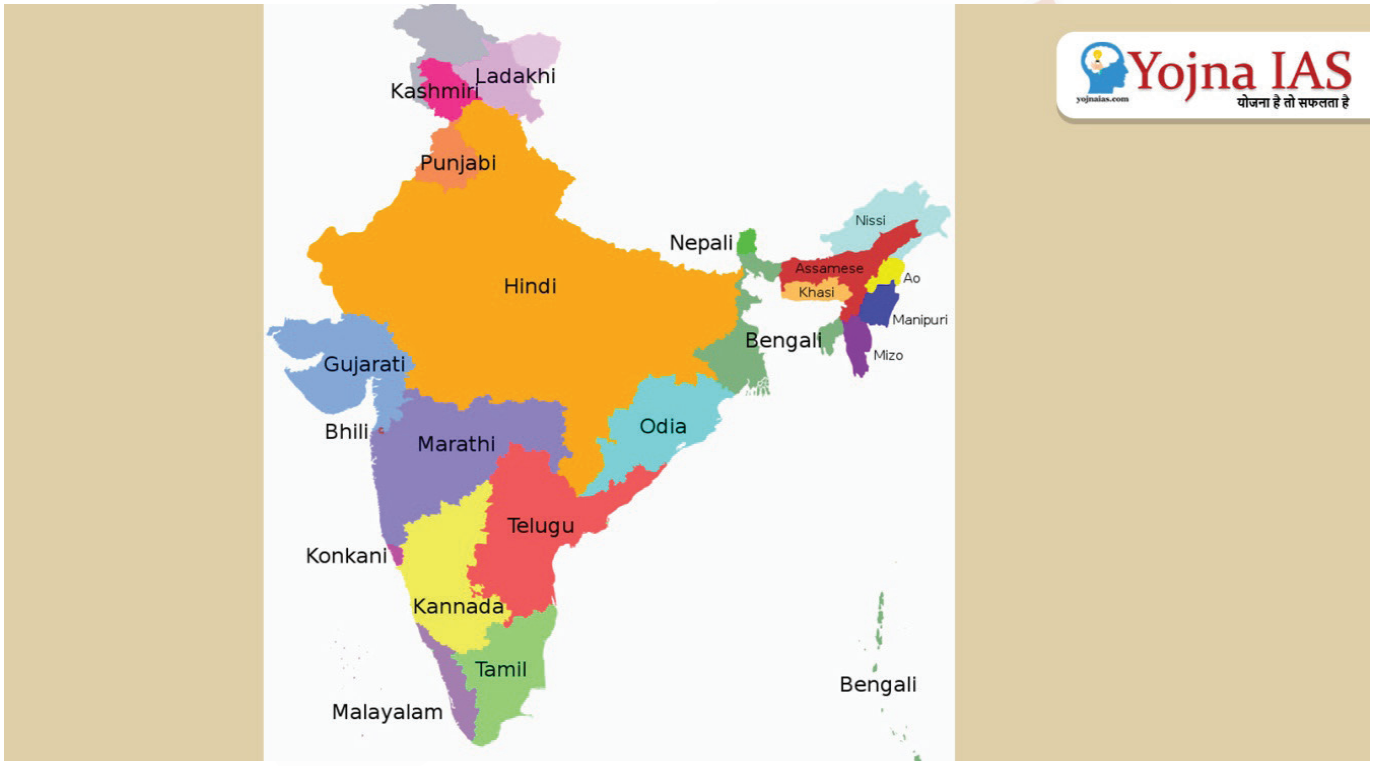

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची भाषा से संबंधित है जिसमें कुल 24 आधिकारिक भाषाओँ का जिक्र है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
3. भारत में शिक्षण संसाधनों की अपर्याप्तता भी स्कूली स्तर पर त्रि – भाषा सूत्र को लागू करने में एक महत्वपूर्ण बाधात्मक पहलू है।
4. भाषा और संस्कृति का आपस में कोई संबंध नहीं है क्योंकि भाषा और संस्कृति एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) केवल 2 और 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. त्रि – भाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं ? तर्कसंगत चर्चा कीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत त्रि – भाषा सूत्र किस प्रकार भारत की एकता , अखंडता और सांस्कृतिक पहचानों को एक सूत्र में बांधकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है ?

भारत – भूटान द्विपक्षीय बहुआयामी संबंध

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत – भूटान द्विपक्षीय बहुआयामी संबंध, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते,, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध, सतत् विकास।

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले शेरिंग टोबगे ने 14 मार्च 2024 से शुरू होने वाली भारत की पांच दिवसीय पहली आधिकारिक यात्रा की।
- इस आधिकारिक य्यात्रा में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे के साथ चार कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे के बीच हुई इस आधिकारिक मुलाकात के अलावा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय और बहुआयामी संबंधों पर वार्ता की।
- शेरिंग टोबगे ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करने के बाद उन्होंने भारत से भूटान में निवेश बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए व्यापारिक नेताओं से मिलने के लिए मुंबई की यात्रा भी की और और दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किया।
- यह यात्रा द्विपक्षीय एवं बहुआयामी सहयोग को मजबूत करने और आपसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपू-र्ण और ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। इस आधिकारिक मुलाकात ने भारत और भूटान दोनों देशों को अपनी साझेदारी

में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

- दक्षिण एशिया में भारत और भूटान के बीच का यह चिरस्थाई मित्रता और आपसी संबंध एक – दूसरे के बीच पारस्परिक समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मजबूत आधारशिला का कार्य करती है।
- भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में भारत की **' नेबरहुड फर्स्ट' नीति '** के अनुरूप भूटान को आर्थिक रूप से सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में वर्ष 2024-25 में भूटान को 2,068 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

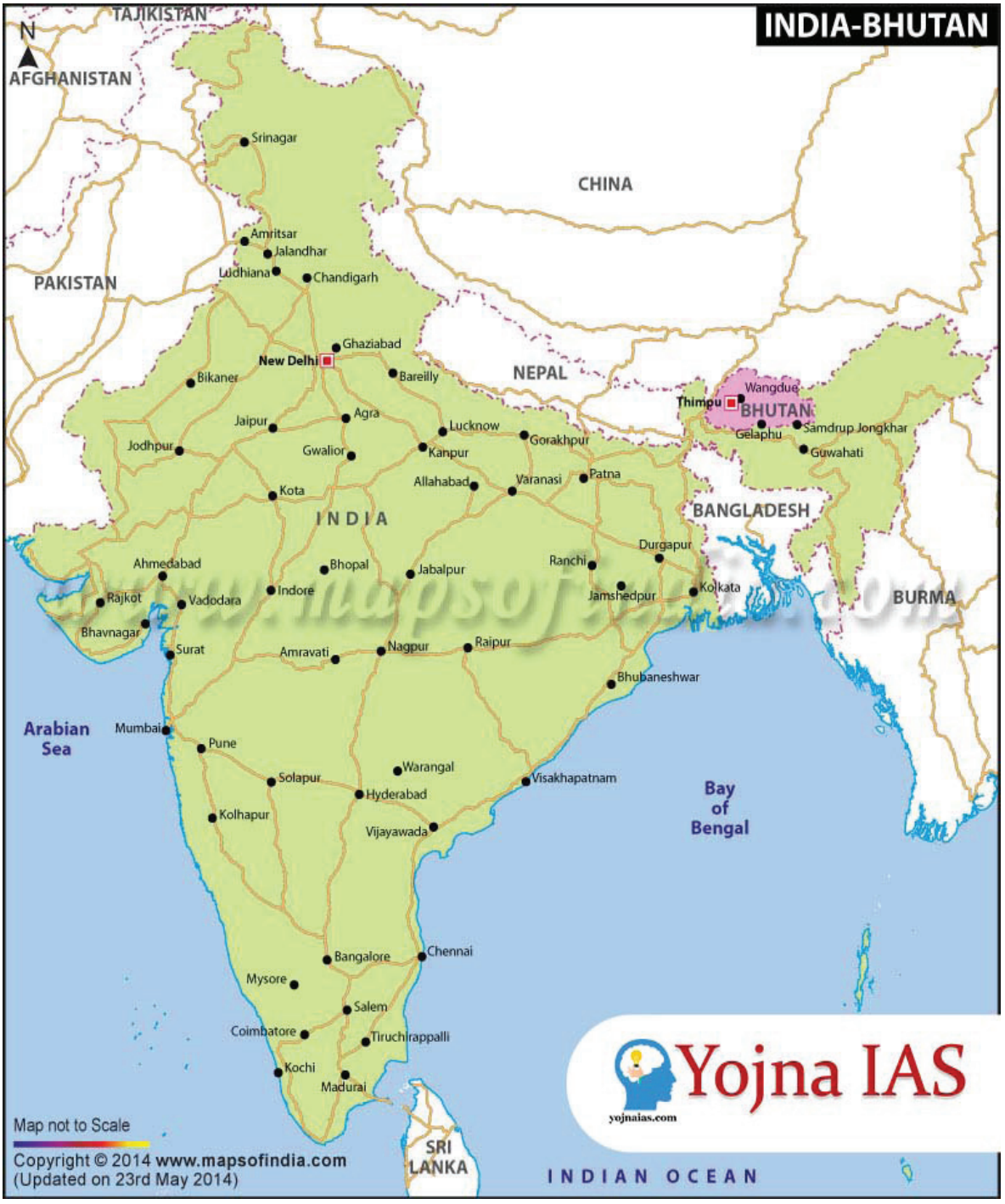

भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का परिचय :

- भारत और चीन के बीच बसा हुआ है तथा चारों तरफ से **" भू-आबद्ध' भूटान '** दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है।
- भूटान का क्षेत्रफल मात्र 8,394 वर्ग किलोमीटर है और उसकी आबादी मात्र 7.7 लाख ही है , जो भारत के किसी भी राज्य के किसी बड़े जिले के क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या से भी काफी छोटा है , किन्तु भूटान एक संप्रभु राष्ट्र है।
- भूटान पहाड़ों और घाटियाँ की बहुलता से घिरा एक देश है।
- भूटान की राजधानी थिम्पू है।
- वर्ष 2008 में भूटान में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर्तमान में भूटान एक लोकतंत्रात्मक देश बन गया है।
- एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश बनने के बावजूद भी भूटान के राजा ही उस राष्ट्र के प्रमुख हैं।
- भूटान का आधिकारिक नाम **' किंगडम ऑफ भूटान '** है, जिसे भूटानी भाषा में **' ड्रुक ग्याल खाप' '** (Druk Gyal Khap) कहा जाता है, जिसका अर्थ है – **'लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन'।**

भूटान की सबसे लंबी नदी :

- भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है जिसकी लंबाई 376 किमी. से अधिक है।
- मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में सीमा बनाती है।

भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय बहुआयामी संबंधों का महत्वपूर्ण क्षेत्र :

भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय बहुआयामी संबंधों का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित है –

भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय खाद्य सुरक्षा सहयोग :

- भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और भूटान के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण ने आपस में परस्पर खाद्य सुरक्षा उपायों में सहयोग करने और एक दूसरे को मदद करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है ।
- यह द्विपक्षीय समझौता खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन लागत को कम करके दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक आसान और सुविधाजनक बनाएगा।

भारत और भूटान के बीच पेट्रोलियम समझौता :

- भारत और भूटान दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा भारत से भूटान को विश्वसनीय तथा निरंतर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे भूटान और भारत के बीच का द्विपक्षीय एवं बहुआयामी संबंध और भी अधिक सुदृढ़ हुआ है ।

ऊर्जा दक्षता और उसके संरक्षण के लिए द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर :

- भारत और भूटान दोनों देशों ने आपस में ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने के लिए और उसके संरक्षण के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो दोनों ही देशों के बीच के परस्पर संबंधों के तहत सतत् विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत भारत का लक्ष्य भूटान मेंअवस्थित घरों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने, भूटान में उर्जा के क्षेत्र में कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने और मानकों तथा लेबलिंग योजनाओं को विकसित करने में भूटान की हर स्तर पर सहायता करना शामिल है।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और डोकलाम क्षेत्र सीमा विवाद का समाधान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होना :

- भारत में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे का यह पहला आधिकारिक यात्रा भूटान और चीन के बीच के सीमा विवाद

को सुलझाने के लिए चल रही वार्ता से भी जुड़ा हुआ है। जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा को स्थापित करना, विशेषकर डोकलाम क्षेत्र के सीमा विवाद को सुलझाने में, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- चीन और भूटान ने अपनी आपसी सीमा विवाद का समाधान करने हेतु वर्ष 2023 के अगस्त महीने में एक योजना पर सहमति व्यक्त किया था।
- वर्ष 2017 में चीन द्वारा डोकलाम क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्र में सड़क बनाने के प्रयास के कारण शुरू हुए भारत और चीन के बीच जारी संघर्ष के बाद यह समझौता इसके चार साल बाद वर्ष 2021 के अक्तूबर महीने में एक समझौते पर दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया गया था।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में भूटान का क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र का होना :

- गेलेफू में भूटान का एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के होने से यह भूटान के क्षेत्रीय विकास के लिए भी और कनेक्टिविटी की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- दिसंबर 2023 में भूटान के राजा द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का लक्ष्य 1,000 वर्ग किलोमीटर में फैले "गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी" की स्थापना करना है।
- गगनचुंबी इमारतों की विशेषता वाले पारंपरिक वित्तीय केंद्रों के विपरीत, गेलेफू आईटी, शिक्षा, आतिथ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे गैर – प्रदूषणकारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत् विकास को प्राथमिकता प्रदान करता है ।
- भारत की "एक्ट ईस्ट नीति' तथा दक्षिण – पूर्व एशिया एवं भारत – प्रशांत क्षेत्र में उभरती कनेक्टिविटी पहल के चौराहे पर स्थित, गेलेफू आर्थिक एकीकरण तथा व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्व रखता है।

भारत के लिए भूटान का बहुआयामी रूप से महत्वपूर्ण होना :

पर्यावरणीय महत्त्व :

- भूटान विश्व के उन कुछ देशों में से एक है जिसने कार्बन-तटस्थ रहने का संकल्प लिया है एवं भारत, भूटान को इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में प्रमुख सहायक रहा है।
- भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण एवं सतत् पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भूटान को सहायता प्रदान की है।

भारत और भूटान के बीच का सांस्कृतिक महत्त्व :

- भारत और भूटान दोनों ही देशों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाली जनसंख्या निवास करती हैं । अतः भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूप से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध है, जो दोनों ही देशों के बीच के साझी संस्कृतियों को परस्पर मजबूती प्रदान करते हैं।
- भारत ने भूटान को उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान किया है।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ भूटानी छात्र भी हमेशा से भारत भी आते रहें हैं।

भारत के लिए भूटान का सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होना :

- भूटान की सीमाएँ भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ लगती हैं तथा इसकी भौगोलिक अवस्थिति इसे भारत की बाह्य सीमा सुरक्षा के लिए इसे रणनीतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण बफर राज्य या बफर केंद्र बनाती है।

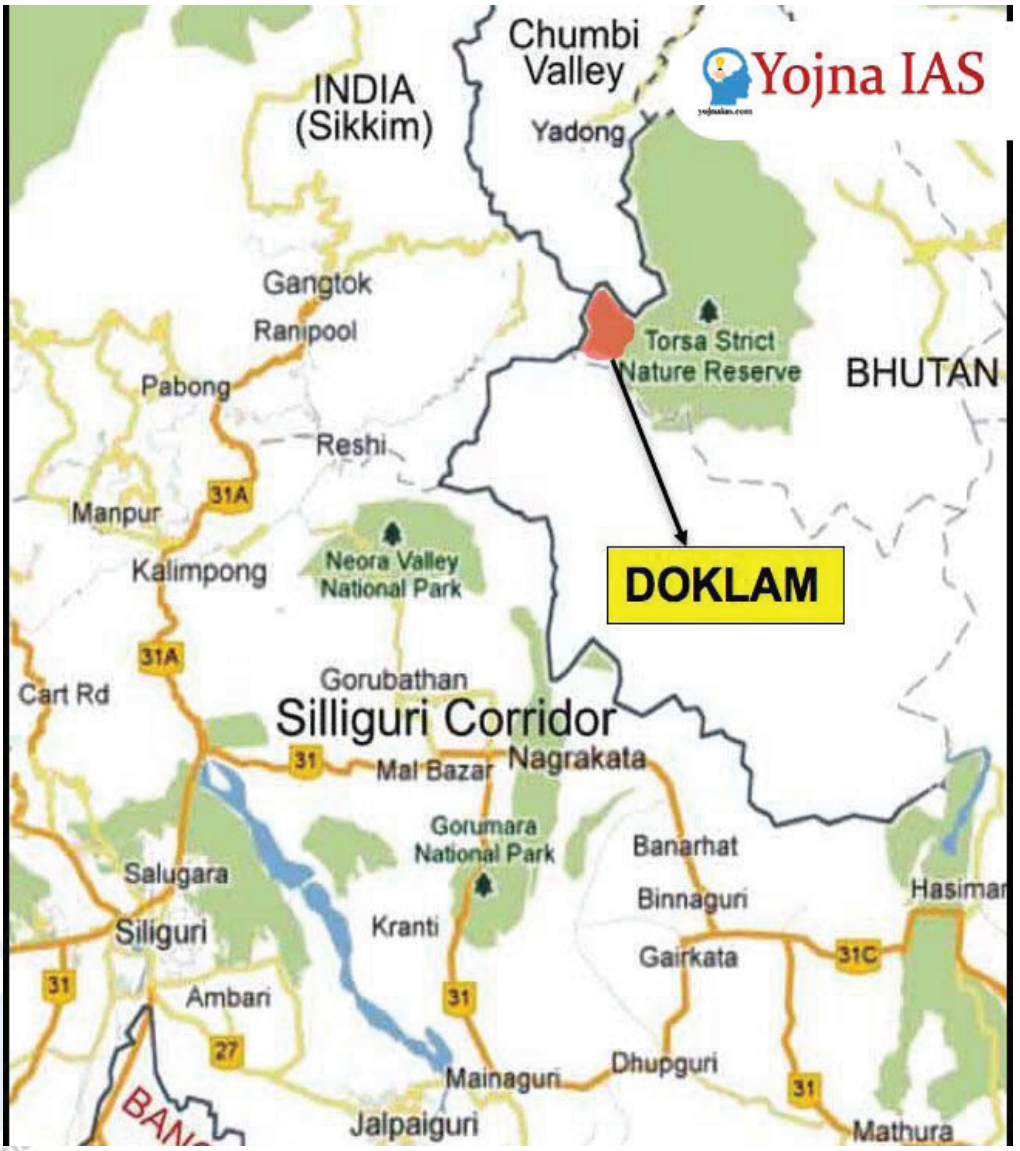

- भारत ने भूटान को रक्षा, बुनियादी ढाँचे एवं संचार जैसे क्षेत्रों को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिससे भूटान को अपनी सं-प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में सहायता प्राप्त हुई है।
- भारत ने भूटान को अपनी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने तथा अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सड़क और पुल जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे के निर्माण तथा रखरखाव में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है।
- भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध के दौरान वर्ष 2017 में, भूटान ने चीनी घुसपैठ का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः भूटान भारत के लिए सामरिक एवं सुरक्षात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है।

भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होना :

- भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा भूटान का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश है। दोनों ही देशों में परस्पर आयात और निर्यात दोनों ही रूप से गहरा संबंध है।
- भूटान की जलविद्युत क्षमता उसके राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है साथ ही भारत ने भूटान की जलविद्युत परियो-जनाओं को विकसित करने में भी तकनीकी और आर्थिक दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान किया है।

भारत और भूटान के बीच की बहुआयामी संबंधों की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ :

भारत – चीन सीमा विवाद और डोकलाम गतिरोध :

- भारत तथा भूटान के बीच 699 किलोमीटर की लंबी सीमा – रेखा है, जो वर्तमान समय तक शांतिपूर्ण ही रहा है। हालाँकि, हाल के कुछ वर्षों में चीनी सेना द्वारा इसकी सीमा पर घुसपैठ की कुछ घटनाएँ भी हुई हैं।
- भारत – चीन – भूटान ट्राइ-जंक्शन में डोकलाम गतिरोध वर्ष 2017 तक आपसी टकराव का एक प्रमुख केंद्र या विषय था। अतः वर्तमान समय में भी ऐसे किसी भी प्रकार के सीमा से संबंधित विवाद के बढ़ने से भारत और भूटान के बीच के आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।

भूटान के अन्दर चीन का बढ़ता प्रभाव :

- भूटान में, विशेषकर भूटान और चीन के बीच विवादित सीमा पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी रहा है और उसने भूटान की संप्रभुता तथा भूटान की सुरक्षा की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भूटान और चीन में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी राजनयिक या रणनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुआ हैं, लेकिन उन दोनों देशों के बीच आपस में उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंधों के तहत आपसी आदान – प्रदान का संबंध बनाए रखा है। जो भारत के लिए भविष्य में चिंता का एक विषय बन सकता है।

भूटान की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जलविद्युत परियोजनाओं का होना :

- भूटान का जलविद्युत क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है और भारत इसके विकास में एक प्रमुख भागीदार रहा है। हालाँकि, भूटान में कुछ जलविद्युत परियोजनाओं की शर्तों को लेकर चिंताएँ हैं, जिन्हें भारत के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है।
- भारत के लिए बहुत ही अनुकूल माने जाने वाली कुछ जलविद्युत परियोजनाओं की शर्तों के कारण भूटान में इस क्षेत्र में भारतीय भागीदारी का भूटान के कुछ नागरिकों ने विरोध भी किया है।

व्यापारिक दृष्टि से संबंधित मुद्दे :

- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से अधिक का योगदान है। हालाँकि, व्यापार असंतुलन को लेकर भूटान में कुछ चिंताएँ तो जरूर है, लेकिन भूटान भारत से निर्यात करने की तुलना में भारत से अधिक से अधिक वस्तुओं का आयात ही करता है।
- भूटान अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार तक अधिक पहुँच की मांग हमेशा से करता रहा है, जिससे उसे अपने व्यापारिक घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारत और भूटान दोनों देशों के लोगों की वीज़ा – मुक्त आवागमन उप-क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत कर सकती है।
- भारत बुनियादी ढाँचे के विकास, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश करके भूटान को उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इससे न केवल भूटान को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी बल्कि वहाँ के लोगों के लिये रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
- भारत और भूटान एक-दूसरे की संस्कृति, कला, संगीत तथा साहित्य की अधिक समझ एवं सराहना को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- भारत और भूटान साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये अपने रणनीतिक सहयोग को मज़बूत कर सकते हैं। वे आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये मिलकर काम कर सकते हैं।
- भारत – भूटान संबंधों की विशेषता ऐतिहासिक संबंधों, रणनीतिक सहयोग और साझा मूल्यों का एक अनूठा मिश्रण है। इन दोनों देशों के बीच की स्थायी मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। जैसे-जैसे भारत और भूटान 21वीं सदी की जटिलताओं से निपट रहे हैं, उन्हें अपनी पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाना होगा। उन्हें सहयोग और जुड़ाव के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करके, भारत और भूटान शांति, समृद्धि और पारस्परिक सम्मान के अपने साझा दृष्टिकोण को साकार कर सकते हैं।
- भारत और भूटान के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान-प्रदान ने भारत और भूटान की विकास साझेदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।
- भारत और भूटान के बीच इस द्विपक्षीय एवं बहुआयामी बैठकों के दौरान, भूटान के पीएम टोबगे ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समान साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी को भूटान की यात्रा के लिए आमंत्रित किया

है।

- भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे की इस अधिकारिक यात्रा ने भारत और भूटान के बीच के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने, दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने और एक साथ मिलकर उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। जो भारत के लिए सामरिक, रणनीतिक. सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों ही देशों के बीच के उज्जवल भविष्य का संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 .भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय एवं बहुआयामी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 50% से अधिक का योगदान है।
2. भूटान का आधिकारिक नाम ' किंगडम ऑफ भूटान ' है, जिसे भूटानी भाषा में ' ड्रुक ग्याल खाप' ' कहा जाता है, जिसका अर्थ है – 'लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन'।
3. वर्तमान में भूटान एक लोकतंत्रात्मक देश है, जिसका प्रमुख भूटान के प्रधानमंत्री होते हैं।
4. भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति' के अनुरूप भारत द्वारा भूटान को आर्थिक रूप से सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) केवल 2 और 3

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति' के संदर्भ में भारत और भूटान के बीच के द्विपक्षीय एवं बहुआयामी संबधों के विभिन्न पहलूओं को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध का समाधान क्या हो सकता है ? तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत कीजिए।

भारत में वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 का महत्व

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डब्ल्यूएचआर, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, शिक्षा , उच्च शिक्षा , लैंगिक एवं जातीय समूह के पहचान के आधार पर जारी सूचकांक।

ख़बरों में क्यों ?

- वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित 20 मार्च 2024 को प्रकाशित वार्षिक वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 में फिनलैंड लगातार सातवें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना रहा।
- वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार – विश्व भर के खुशहाल देशों में से शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नार्वे, लक्जमबर्ग , स्विट्जर्लैंड और आस्ट्रेलिया है। जबकि इस सूचकांक के घोषित निष्कर्षों के अनुसार – लीबिया , इराक, फिलिस्तीन और नाइजरजैसे देशों के बाद **भारत इस सूचकांक में पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर है।**
- **पूरे विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस' मनाया जाता है।** इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के अनेकों देशों के लोगों को उनके द्वारा स्वस्थ जीवन जीने के तरीके के रूप में खुशी के महत्व के बारे में सूचित करना एवं लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना है। इस अवसर पर विश्व भर के अनेक देशों के लोगों के जीवन में आने वाले खुशी के क्षणों के महत्व को और इस ख़ुशी के पल से उनके जीवन में उत्पन्न होने वाले लाभों के बारे में वैश्विक स्तर लोगों को जागरुक किया जाता है।
- वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार नॉर्डिक देशों ने 10 सबसे खुशहाल देशों में अपना स्थान बरकरार रखा है, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन फिनलैंड से अभी भी बहुत पीछे हैं।
- सन 2020 में तालिबानियों के शासन के नियंत्रण में आने के बाद से मानवीय तबाही से त्रस्त अफगानिस्तान वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 में शामिल 143 देशों में सबसे नीचे और दुनिया का सबसे नाखुश देश है।
- एक दशक से अधिक समय पहले तक और इस सूचकांक के प्रकाशित होने के बाद पहली बार, अमेरिका और जर्मनी

विश्व के शीर्ष 20 देशों में सबसे खुशहाल देशों में नहीं है।

- 2024 के इस सूचकांक के अनुसार अमेरिका और जर्मनी वैश्विक स्तर पर पहली बार क्रमशः 23वें और 24वें स्थान पर शामिल खुशहाल देश हैं।
- वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार चीन 60वें, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है।
- मध्य पूर्वी देशों में संयुक्त अरब अमीरात 22वें और सऊदी अरब 28वें स्थान पर रहा। एशियाई देशों में सिंगापुर 30वें स्थान पर रहा। जापान 50वें स्थान पर और दक्षिण कोरिया 51वें स्थान पर है।
- **विश्व प्रसन्नता सूचकांक गैलप वर्ल्ड पोल डेटा, आक्सफोर्ड येलबोइंग रिसर्च सेंटर, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डब्ल्यूएचआर द्वारा संचालित सतत विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। यह सरकारी नीति के मानदंड के रूप में खुशी और कल्याण पर अधिक ध्यान देने की विश्वव्यापी मांग को दर्शाता है। यह आज दुनिया में खुशी की स्थिति की समीक्षा करता है और दिखाता है कि कैसे खुशी का विज्ञान खुशी में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भिन्नताओं की व्याख्या करता है।**

वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 का मुख्य विषय :

- वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष अंतरर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने के लिए एक विषय निर्धारित किया जाता है।
- वर्ष 2024 के अंतरर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का मुख्य विषय – **"खुशी के लिए पुनः जुड़ना: लचीले समुदायों का निर्माण"** है।
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर हर प्रकार के देशों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का इतिहास :

Yojna IAS

UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

- इस दिवस का इतिहास 2013 से आरंभ होता है जब इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा मनाया गया था।
- जीवन में खुशी के महत्व और लोगों को प्रसन्न करने के तरीकों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार,- यह प्रस्ताव भूटान द्वारा आरंभ किया गया था।
- 12 जुलाई 2012 को, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया।
- प्रथम 'अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस' वर्ष 2013 में मनाया गया था।
- अतः वर्ष 2013 से ही प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को ही वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है।
- भूटान ने 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के मूल्य को मान्यता दी थी। भूटान ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के लक्ष्य को अपनाया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र के दौरान भूटान ने **"प्रसन्नता और कल्याण : एक नए आर्थिक प्रतिमान को परिभाषित करना"** विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी भी की थी।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (यूएन एसडीएसएन) :

- यूएन एसडीएसएन 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में काम कर रहा है।
- एसडीएसएन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन सहित सतत विकास के लिए व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त शिक्षा में तेजी लाना और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है जो दुनिया के सामने आने वाली परस्पर जुड़ी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है।
- एसडीएसएन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है।
- एसडीएसएन के संगठन और शासन का लक्ष्य सभी क्षेत्रों और विविध पृष्ठभूमियों से बड़ी संख्या में नेताओं को नेटवर्क के विकास में भाग लेने में सक्षम बनाना है।
- **एसडीएसएन का एक छोटा सचिवालय है जिसके कार्यालय न्यूयॉर्क, नई दिल्ली और पेरिस में हैं।**

वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में देशों को रैंकिंग प्रदान करने के महत्वपूर्ण कारक :

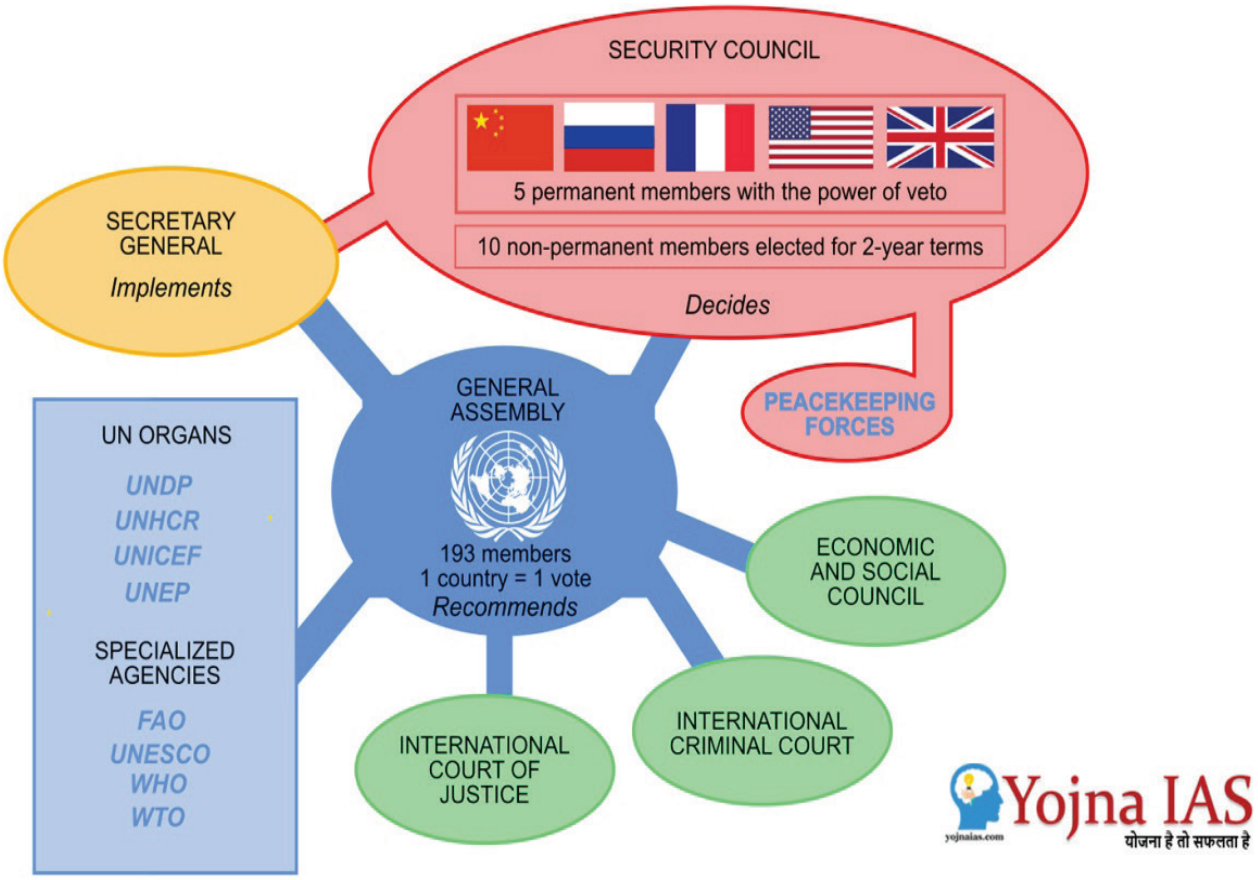

वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक कई कारकों के आधार पर विश्व के अनेक देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। **जिसमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है –**

1. **वास्तविक सामाजिक समर्थन,**
2. **प्रति व्यक्ति जी डी पी,**
3. **किसी के जीवन में चयन की स्वतंत्रता,**
4. **स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और जीवन प्रत्याशा दर**
5. **भ्रष्टाचार की धारणाएँ और**
6. **उदारता।**

अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का महत्व :

- इस संसार में पत्येक व्यक्तियों के जीवन में प्रसन्नता का होना एक सार्वभौमिक अधिकार है और विश्व के किसी भी देश के किसी भी नागरिक को किसी को भी प्रसन्न होने के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया / रखा जा सकता है।
- हम अपने प्रियजनों को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके ढूंढते हैं। जब हम उन्हें मुस्कुराते हुए और प्रसन्न देखते हैं, तो

वे क्षण ही हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं।

- अंतरर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे-छोटे प्रयासों या पहलों से अपने आस-पास के सभी लोगों को खुश करने का अवसर प्रदान करता है।
- इस दिवस के माध्यम से हम लोगों को उनके जीवन में ख़ुशी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने से लेकर अपने आस – पास के लोगों के जीवन में 'जीवन के प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण रखने" और उसे अपने समाज तक खुशियाँ फ़ैलाने तक के प्रयासों को शामिल कर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के लिए सभी के लिए और अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संतुलित दृष्टिकोण रखने का आह्वान करती है जो हमारे आसा – पास के सभी लोगों के जीवन में खुशी और मानवता के लिए सभी का कल्याण करने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस लोगों को यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि खुशी पाने के कई तरीके हैं, जिनमें दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-संतुष्टि शामिल हैं। इस दिन को लोगों और संगठनों द्वारा अपने और अपने समुदायों की खुशी के मानकों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के आह्वान के रूप में मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि यदि हम अपने जीवन में होने वाले खुशी के पलों को स्वीकार करें और उसे मुख्य रूप से प्राथमिकता देते हैं तो हम इस दुनिया के सभी लोगों के लिए अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जगह बना सकते हैं।
- इस सूचकांक / रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश हैं।
- इस सूचकांक के अनुसार वैश्विक स्त्सर पर उम्र बढ़ने के साथ – ही – साथ लैंगिक अंतर (लिंग पर आधारित अंतर) भी बढ़ता जा रहा है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक का महत्व :

- भारत का इस पूरे संसार के सभी प्राणियों के प्रति हमेशा से **" वसुधैव कुटुम्बकम "** की भावना रही है।
- भारत के धर्मग्रंथ भी सदैव से **" सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।" अर्थात इस संसार के सभी प्राणी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बनें और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े। किसी के जीवन में भी कोई भी कष्ट नहीं हो।**
- भारत में अधिक उम्र का संबंध उच्च जीवन संतुष्टि से है। हालाँकि, वृद्ध भारतीय महिलाओं ने वृद्ध पुरुषों की तुलना में कम जीवन संतुष्टि और कम जीवन प्रत्याशा की सूचना प्रदान की है ।
- इस सूचकांक में यह भी बताया गया है कि भारत में लोगों में शिक्षा और उसकी जाति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।
- माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले वृद्ध वयस्कों और उच्च सामाजिक जातियों के लोगों ने औपचारिक शिक्षा के बिना अपने समकक्षों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तुलना में उच्च जीवन संतुष्टि की जानकारियां दी है।
- यह सूचकांक यह भी बताता है कि भारत की वृद्ध आबादी दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 14 करोड़ भारतीय हैं , जो 25 करोड़ अपने चीनी समकक्षों के बाद दूसरे स्थान पर है ।
- भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीयों की औसत वृद्धि दर देश की समग्र जनसंख्या दर से तीन गुना अधिक है ।
- भारत में प्रसन्नता के मामले में भारतीय नागरिकों के बीच पाए जाने वाले शिक्षा. उच्च शिक्षा, जाति और सामाजिक स्थिति (आर्थिक आधार पर उसकी हैसियत) भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत इस सूचकांक में 134 देशों में 126 वें स्थान पर है ।
2. इस सूचकांक 2024 में फिनलैंड लगातार सातवें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश है।
3. वर्ष 2024 के अंतरर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का मुख्य थीम – "खुशी के लिए पुनः जुड़ना: लचीले समुदायों का निर्माण" है।

4. अफगानिस्तान वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 में शामिल देशों में सबसे नीचे और दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) केवल 2 और 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में रैंकिंग प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले कारकों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत के संदर्भ में खुशहाली के लिए कौन – कौन से कारक महत्वपूर्ण है और भारत के नागरिकों के जीवन में समग्र प्रसन्नता के रैंक में सुधार करने के लिए क्या समाधान हो सकता है ? तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थ

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217, न्यायिक औचित्य, न्यायिक निष्पक्षता और न्यायपालिका की अखंडता, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली का विकास और इसकी आलोचना, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के त्याग-पत्र के बाद आधिकारिक पद को स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थ।

ख़बरों में क्यों ?

- भारत में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव 2024 की तिथियों की घोषणा के बाद हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है और भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं।
- कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के अपने पद से त्याग-पत्र देने के तुरंत बाद भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल में शामिल हो जाने के बाद एक बार फिर से भारत में उच्च न्यायालय एवं उच्चत्तम न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वरा तरह के कदम उठाने के औचित्य और महत्व पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

- भारत में बहु प्रतीक्षित अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मामले में निर्णय देने वाले उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के बाद भारत में यह चर्चा चली कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा किसी भी तरह का आधिकारिक पद स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थ क्या सही है अथवा गलत ?
- वर्ष 1967 में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) कोका सुब्बा राव ने विपक्षी उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिये सेवानिवृत्त होने से तीन महीने पहले त्याग-पत्र दे दिया था।
- वर्ष 1983 में अपने सेवानिवृत्ति से छह सप्ताह पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहारुल इस्लाम द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना त्याग-पत्र देना भी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थ को चर्चा के केंद्र में ला दिया था।

भारत में राजनीति के लिए एक न्यायाधीश के त्याग- पत्र के बाद किसी भी प्रकार का आधिकारिक पद स्वीकार करने से संबंधित नैतिक चिंताएँ :

- भारत में सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए न्यायपालिका से न्यायाधीश के त्याग-पत्र से उत्पन्न चिंताओं के कुछ महत्त्वपूर्ण नैतिक निहितार्थ हैं जो भारत में न्यायिक औचित्य और न्यायिक निष्पक्षता और न्यायपालिका की अखंडता की धारणा को प्रभावित करते हैं। **जो निम्नलिखित है –**

भारत में न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता :

- भारत में विधि या कानून का शासन और लोकतंत्र स्थापित करने को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत में एक न्यायाधीश द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना उसके द्वारा न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उसके द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है और न्यायपालिका के कार्य पद्धति पर राजनीतिक विचारों के प्रभाव के संबंध में चिंता उत्पन्न करता है।
- भारत जैसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश में न्यायाधीशों को राजनीतिक संस्थाओं सहित किसी भी बाहरी पक्ष के हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में न्यायपालिका का न्याय के प्रति न्यायिक निष्पक्षता :

- भारत में किसी भी न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्याय सुनिश्चित करने के प्रति तटस्थ रहें और वह अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या किसी भी प्रकार के बाहरी दबावों से प्रभावित हुए बिना केवल तथ्यों तथा कानून के आधार पर ही अपना निर्णय दें और वह न्यायिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करे।
- भारत में किसी भी न्यायाधीश का किसी भी प्रकार के विवादों में शामिल होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के बाद वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीशों के फैसले से राजनीतिक मामलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठता रहता है।
- किसी भी भूतपूर्व न्यायाधीश द्वारा किसी भी प्रकार के आधिकारिक पद पर आसीन होने से न्यायपालिका की निष्प-क्षता से न्याय देने की क्षमता के प्रति भारत की जनता का विश्वास कम होता है और अनेक प्रकार की शंकाएं बलवती हो उठती हैं।

न्यायपालिका के प्रति भारतीय जनता का विश्वास और भरोसा सुनिश्चित करना :

- भारत में शासन व्यवस्था का लोकतंत्रात्मक स्वरुप होने के कारण भारत की न्यायपालिका भारतीय समाज में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए भारतीय जनता के विश्वास और उसका न्यायपालिका के प्रति भरोसे पर निर्भर करती है।
- भारत में किसी भी न्यायाधीश द्वारा किसी भी तरह का आधिकारिक पद स्वीकार करने जैसे कार्यों में शामिल होने से यह भारत के न्यायपालिका के न्यायिक अखंडता और निष्पक्षता की धारणा को कमज़ोर करती है जिससे भारत में संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के संबंध में जनता का विश्वास अत्यंत प्रभावित होता है।
- भारत में न्यायपालिका से राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए न्यायाधीशों का अपने पद से त्याग- पत्र देने से भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता के प्रति जनता के बीच संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आपसी हितों का टकराव होने की स्थिति उत्पन्न होना :

- भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से अथवा किसी भी न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आपसी हितों के टकराव से बचें और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखें।

- भारत में न्यायाधीशों का राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी, विशेष रूप से न्यायालय में कार्यरत रहते हुए उनके द्वारा विवादास्पद बयान देना और निर्णय देना , उनके व्यक्तिगत हितों के टकराव के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।

न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात् आधिकारिक पदों पर नियुक्तियों का मुद्दा :

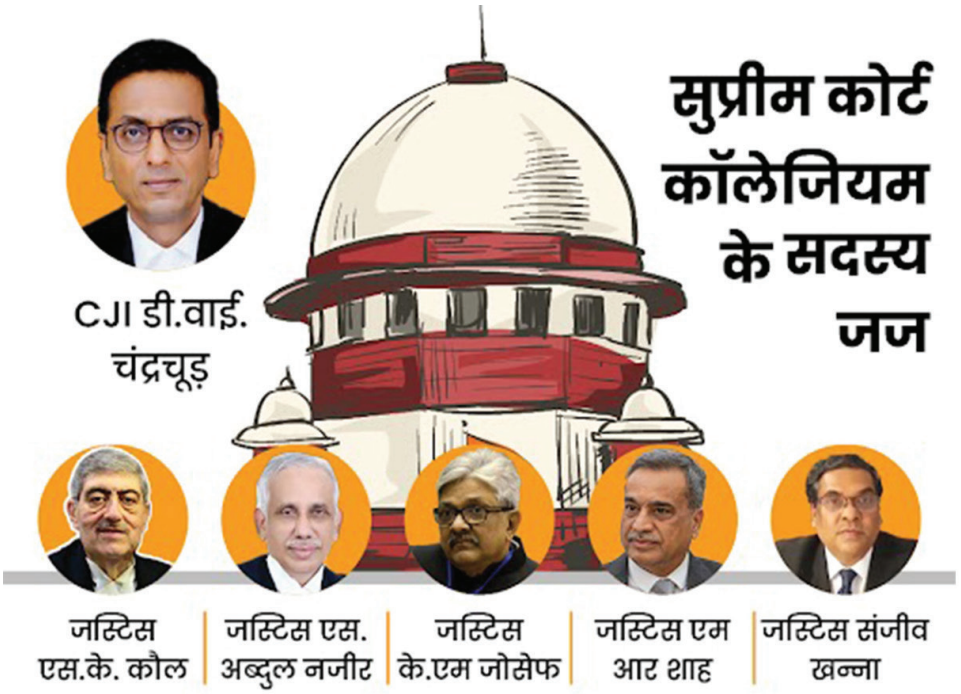

- भारत में विगत कुछ सालों में कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद स्वीकार कर लिया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद पर आसीन होने की यह प्रथा भारत के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट सीमांकन की अवधारणा को पूर्णतः धूमिल और शंकाग्रस्त कर देती है।

भारत में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् किए जाने वाले कार्य :

- भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यभार लेने से प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन उनके आपसी हितों के संभावित टकराव को कम करने के लिए **' कूलिंग-ऑफ अवधि लागू '** करने के सुझाव दिए गए हैं।
- भारत में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृति के पश्चात् कूलिंग-ऑफ अवधि के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व सी.जे.आई, आर.एम.लोढ़ा ने कम-से-कम 2 वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि की सिफारिश की थी।
- **' कूलिंग – ऑफ अवधि'** की अवधारणा भारत में किसी भी प्रकार के संवेदनशील पदों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सामान्यतः दो वर्ष के लिए कोई अन्य नियुक्ति स्वीकार करने से रोक दिया जाता है।
- भारत में किसी उच्च और संवेदनशील पदों को धारण करने की स्थिति में ये कूलिंग-ऑफ अवधि पर्याप्त समय के अंतराल के माध्यम से पिछली नियुक्ति एवं नई नियुक्ति के बीच के संबंध को समाप्त करने पर आधारित होती है।

भारत के बाहर न्यायाधीशों की आधिकारिक पदों पर पुनर्नियुक्ति की अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ :

- भारत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने जीवन में कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के आपसी हितों के टकराव को रोकने के लिए जीवन भर अपने पद पर बने रहते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम में,न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की नौकरियाँ लेने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायाधीश ने ऐसा कार्य नहीं किया है, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाओं के मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण रखने की अवधारणा को बताता है।

रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशिअल लाइफ की अवधारणा :

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में न्यायाधीशों के लिए नैतिक मानकों और सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए **' रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशिअल लाइफ की अवधारणा '** को अंगीकृत किया था। **'रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशिअल लाइफ की अवधारणा' के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं** –
- भारत में न्यायाधीशों को तटस्थ और निष्पक्ष होकर: न केवल न्याय किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय होना दिखना या प्रदर्शित भी होना चाहिए। न्यायाधीशों के व्यवहार से न्यायपालिका के प्रति निष्पक्षता में भारत के लोगों के विश्वास और भरोसे की पुष्टि भी होनी चाहिए ।
- भारत में न्यायाधीशों को बार कौंसिल के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने से भी बचना चाहिए।
- भारत में न्यायाधीश के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पेशे से वकील हैं, तो उस न्यायाधीश को अपने परिवार के सदस्य वकील से संबंधित मामलों की सुनवाई करने से बचना चाहिए और साथ ही राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक बहस में भाग नहीं लेना चाहिए ।
- भारत में न्यायाधीशों को वित्तीय लाभ के किसी भी प्रकार के कोई भी माध्यम नहीं खोजना चाहिए और उन्हें शेयरों में सट्टा नहीं लगाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का व्यापार अथवा व्यवसाय में उन्हें संलग्न नहीं रहना चाहिए।
- भारत में न्यायाधीशों को हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि उनका जीवन और उनकी न्यायिक निर्णय हमेशा सार्वजनिक जाँच अर्थात जनता की आँखों के अधीन या सामने हैं।

- अतः भारत में न्यायाधीशों को उनके कार्यों से जिस उच्च पद पर वे हैं, उसे भी लाभ नही पहुँचना चाहिए।

समस्या का समाधान :

सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने की समस्या के समाधान के रूप में निम्नलिखित संवैधानिक और न्यायिक सुधार किया जा सकता है –

14वें विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करना :

- 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट, 1958 की सिफारिशों ने भारत की न्यायपालिका में न्यायाधीशों के साथ होने वाली इस प्रकार की समस्या का समाधान सुझाया है जो एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने पर बल देता है।
- 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट, 1958 की सिफारिशों में भारत की न्यायपालिका को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना भी न्यायाधीशों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

भारत की न्यायपालिका में पारदर्शिता में वृद्धि करना :

- भारत में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के आधिकारिक पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
- भारत में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के आधिकारिक पदों पर नियुक्त करने में चयन के मानदंडों का अत्यंत पारदर्शिता बरतते हुए सम्पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रियाओ के लिए खुली प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना चाहिए और इसके साथ – ही साथ प्रत्येक नियुक्ति के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करना चाहिए।

भारत की न्यायपालिकाओं में उच्च – न्यायिक नैतिकता एवं उच्च मानकों को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करना :

- भारत में न्यायाधीशों के लिए उनके कार्यकाल के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के बाद नैतिक दिशा-निर्देशों एवं मानकों को मज़बूत करने से न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- न्यायाधीशों को व्यक्तिगत हितों के स्थान पर न्यायपालिका में जनता के विश्वास को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भारत में कूलिंग-ऑफ अवधि को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए :

- भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम.लोढ़ा के सुझाव के अनुशंसाओं के आधार पर न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कार्यभार हेतु उनकी पात्रता के बीच एक अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि का होना अनिवार्य होना चाहिए।
- भारत में इस अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि का होना न्यायाधीशों या अन्य उच्च अधिकारियों के हितों के संभावित टकराव को कम करने के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगी। जिससे भारत में उच्च स्तरीय न्यायपालिका में या उच्च स्तरीय कार्यपालिका में भी निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष :

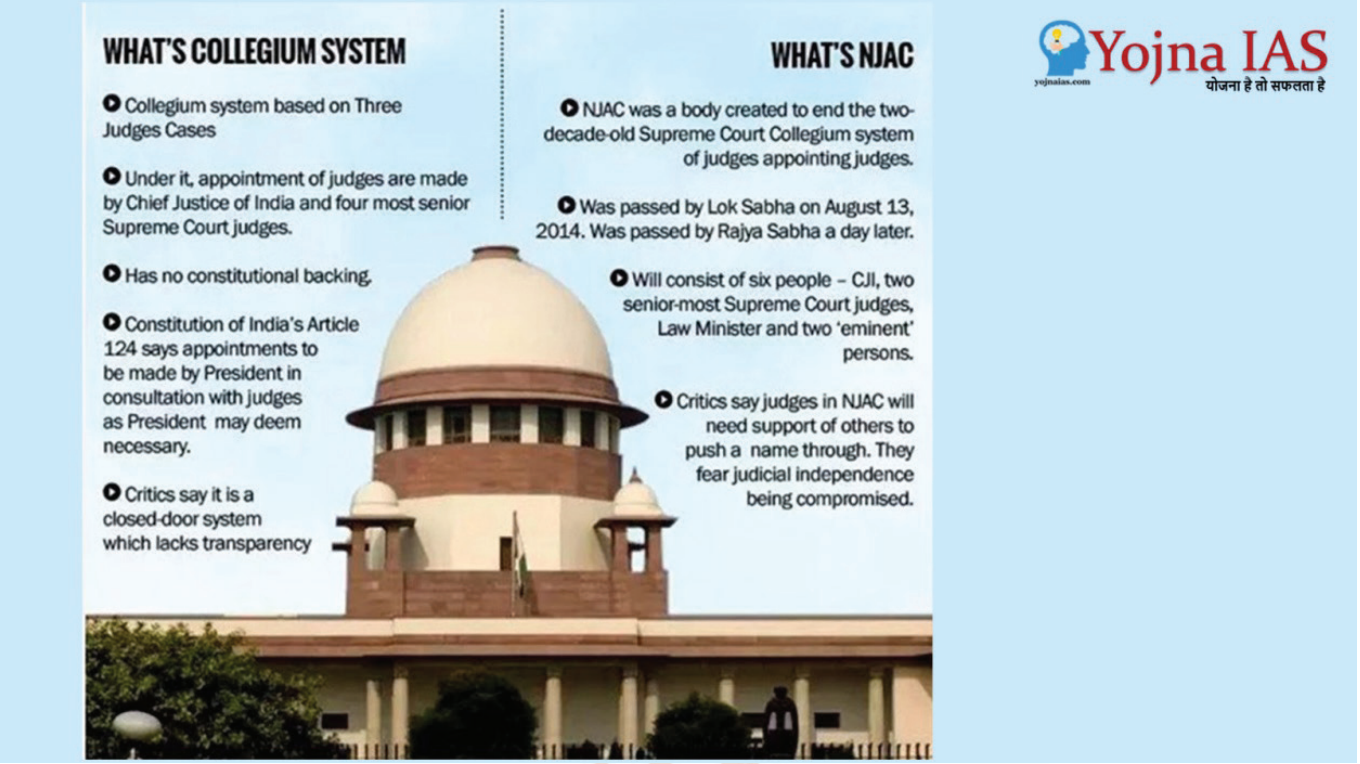

- कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के न्यायपालिका के अपने पद से त्याग – पत्र देना और उनका राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय भारत में उच्च स्तरीय न्यायपालिका में न्यायिक निष्पक्षता, स्वतंत्रता, हितों के संघर्ष, सार्वजनिक विश्वास एवं पेशेवर ज़िम्मेदारी के संबंध में महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को व्यक्त करता है।

- भारत में इन चिंताओं का मुख्य कारण भारत की न्यायपालिका की अखंडता और उसकी विश्वसनीयता पर दूरगामी प्रभाव को रेखांकित करताहै, जो भारत में न्याय और प्रशासन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मामले में निर्णय देने वाले उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ के और भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के बाद भी भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता और न्यायिक सक्रियता के संबंध में सवाल खड़ा हुआ था। अतः भारत में सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और न्यायिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायिक तटस्थता को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि भारतीय जनता को उच्च न्यायपालिका के प्रति भरोसा रहे और उसे अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय या मौलिक अधिकारों के हनन के विरोध में प्रतिकार करने का साहस उत्पन्न हो सके और भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ कह सके कि – **" आई विल सी यू इन कोर्ट।"**

- **" आई विल सी यू इन कोर्ट"** केवल एक नारा या कोटेशन नहीं है बल्कि यह भारतीय जनता का अपने साथ होने वाले न्याय का प्रतीकात्मक विश्वास और भारत के उच्च न्यायपालिका के भरोसे का प्रतीक है। अतः भारत में सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने से पूर्व यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता का अभी भी भारत की उच्च न्यायपालिका पर भरोसा कायम है। यही करना है किआज भी भारत में लोकतंत्र के बुनियादी तत्व और न्यायपालिका के प्रति भारत की जनता का विश्वास और भरोसा विद्यमान है। भारतीय जनता के इस भरोसे और विश्वास को जिंदा रखना उच्च न्यायपालिका और उच्च कार्यपालिका के कंधों पर है । ताकि भारत में लोकतंत्र बना रहे और जनता का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे । यही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जीत है ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृति के पश्चात् कूलिंग-ऑफ अवधि के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व सी.जे.आई, आर.एम.लोढ़ा ने कम-से-कम 2 वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि की सिफारिश की थी।
2. 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट, 1958 की सिफारिशों में भारत की न्यायपालिका को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना भी न्यायाधीशों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) न तो 1 और न ही 2

(D) उपरोक्त में से सभी।

उत्तर- (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करने के विभिन्न आयामों/ पहलूओं को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों का आधिकारिक पद स्वीकार करना संवैधानिक और उचित है अथवा असंवैधानिक और अनुचित ? तर्कसंगत विचार प्रस्तुत कीजिए।

जल संरक्षण : प्रवंधन एवं संवर्धन

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन:– भारतीय भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण, गहन वनीकरण, जलवायु परि-वर्तन, वर्षा का बदलता पैटर्न और मौसम से जुड़ी घटनाएं, विश्व जल दिवस 2024, वर्षा जल संरक्षण, जल प्रबधन एवं संवर्धन, सतत विकास , कैच द रेन अभियान।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 22 मार्च 2024 को 'पूरी दुनिया में **' विश्व जल दिवस '** 'मनाया गया।
- वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष शुरू होने वाले 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस, संयुक्त राष्ट्र का एक वार्षिक दिवस है। जिसका मुख्य उद्देश्य मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है।

- विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य – सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले लोगों के बारे में जा-गरूकता को फैलाना या बढ़ाना है।
- विश्व जल दिवस का मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्य 6 की उपलब्धि का समर्थन करना और 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्व-च्छता उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- **विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य विषय/ थीम " शांति के लिए जल का लाभ उठाना " है।**

- हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए **' जल शक्ति अभियान : कैच द रेन – 2024 अभियान '** को प्रारंभ किया है।
- भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में अभियान को शुभारंभ किया और, जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।
- भारत में यह कार्यक्रम **'नारी शक्ति से जल शक्ति'** थीम पर आधारित था।
- भारत में यह जल शक्ति मंत्रालय के पांचवें संस्करण के अभियान के रूप में ,नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कन्वें-शन सेंटर में आयोजित किया गया था।
- **भारत ' नारी शक्ति से जल शक्ति '** अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है।
- भारत में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में **'जल शक्ति अभियान 2019 से 2023 – जल सुरक्षा की ओर अग्रसर एक सार्वजनिक नेतृत्व वाला आंदोलन'** नामक वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग और दो पुस्तकों – **'जल शक्ति अभियान: 2019 से 2023'** और **'101 जल जीवन मिशन के चैंपियन' और 'महिला जल योद्धाओं'** की वार्ता का अनावरण भी किया गया।
- हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का बेंगलुरु शहर गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है , जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमी हो गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के 236 तालुकों में से 223 सूखे से प्रभावित हैं, जिनमें बेंगलुरु के पानी के स्रोत मांड्या और मैसूरु जिले भी शामिल हैं।
- भारत में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, आने वाले महीनों में कर्नाटक भर के लगभग 7,082 गांवों में पीने के पानी का संकट पैदा होने का खतरा है।

विश्व जल दिवस का इतिहास :

- सन 1992 में ब्राजील में हुए पर्यावरण और विकास सम्मेलन में 'विश्व जल दिवस' को मनाए जाने एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता विषय का प्रस्ताव पारित किया गया।
- सयुंक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 1992 में इस प्रस्ताव को अपनाते हुए यूएनजीए ने वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 22 मार्च को 'विश्व जल दिवस' मनाए जाने की घोषणा की।

- अतः पहली बार वर्ष 1993 में 'विश्व जल दिवस' मनाया गया।
- वर्ष 2010 में यूएन ने सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जल संकट पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है।

विश्व जल दिवस का महत्व :

- विश्व जल दिवस का मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है।
- विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य वैश्विक स्तर पर 2030 तक सभी के लिए साफ जल और स्वच्छता उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान समय में जल संरक्षण की जरूरत :

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, स्वच्छता, साफ-सफाई और साफ पानी की कमी से होने वाली बीमारियों से हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व के लगभग 25% आबादी के पास स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं है, और लगभग आधी वैश्विक आबादी के पास स्वच्छ शौचालयों का अभाव है। वर्ष 2050 तक जल की वैश्विक स्थिति 55% तक बढ़ने का अनुमान है।
- मानव जीवन में जल रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल का उचित उपयोग मीठे जल के भंडारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औसतन एक व्यक्ति एक दिन में 45 लीटर तक पानी अपने दैनिक गतिविधियों के माध्यम से बर्बाद कर देता है। इसलिए, दैनिक जल उपयोग में कुछ बदलाव करने से भविष्य में उपयोग के लिए काफी मात्रा में जल बचाया जा सकता है।
- दुनिया भर में लगभग 3 अरब से अधिक लोग जल की निर्भरता के कारण दूसरे देशों में पलायन करते हैं।
- विश्व भर में केवल 24 देशों के पास साझा जल उपयोग के लिए सहयोग समझौते हस्ताक्षर हुए हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और समृद्धि, खाद्य और ऊर्जा प्रणालियां,आर्थिक उत्पादकता और पर्यावरणीय अखंडता सभी

प्रबंधित जल चक्र पर निर्भर करते हैं।

भारत में जल संरक्षण के लिए प्रबंधन और संवर्धन की वर्तमान स्थिति :

- वर्तमान में सभी क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग तथा वर्षा के बदलते पैटर्न में के कारण भूजल पर निर्भरता बढ़ गई है। इसके उचित प्रबंधन और स्थायी रूप से उपयोग हेतु उचित कार्रवाई के साथ ठोस प्रयास किये जाने की महती आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भूजल पृथ्वी के सभी तरल मीठे पानी का लगभग 99 प्रतिशत है जिसमें समाज को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने की क्षमता है।
- भूजल पीने के पानी सहित घरेलू उद्देश्यों के लिये उपयोग किये जाने वाले कुल जल का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है जो विश्व में सर्वाधिक है। 2050 तक जनसंख्या बढ़कर 1.7 अरब होने का अनुमान है।
- विश्व बैंक के अनुसार, भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन लगभग 4 प्रतिशत लोगों के लिए पर्याप्त जल संसाधन हैं।
- भारत में लगभग 90 मिलियन को सुरक्षित पानी तक पहुंच नहीं है। भारत की सामान्य वार्षिक वर्षा 1100 मिमी है जो विश्व की औसत वर्षा 700 मिमी से अधिक है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून-अगस्त 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून 42 प्रतिशत जिलों में सामान्य से नीचे रहा है। अगस्त 2023 में देश में बारिश सामान्य से 32 प्रतिशत कम और दक्षिणी राज्यों में 62 प्रतिशत कम थी।
- 1901 के पश्चात अर्थात पिछले 122 वर्षों में भारत में पिछले वर्ष अगस्त में सबसे कम वर्षा हुई।
- भारत में हुई कम वर्षा से न केवल भारतीय कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की भारी कमी होने की प्रबल संभावना भी हो सकती है।
- भारत में एक वर्ष में उपयोग की जा सकने वाली पानी की शुद्ध मात्रा 1,121 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अनुमानित है। हालाँकि, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में कुल पानी की माँग 1,093 बीसीएम और 2050 में 1,447 बीसीएम होगी। परिणामस्वरूप अगले 10 वर्षों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी की संभावना है।

- भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक दोहन करता है। यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल दोहन-कर्ता (चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका) के संयुक्त दोहन से भी अधिक है।
- फाल्कनमार्क वॉटर इंडेक्स अनुसार, भारत में लगभग 76 प्रतिशत लोग पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यद्यपि भारत में निष्कर्षित भूजल का केवल 8 प्रतिशत ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका 80 प्रतिशत भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है शेष 12 प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी।

भारत में जल संकट की समस्या से निवटने के लिए और जल संवर्धन के लिए किए जाने वाला समाधान :

- भारत में जल संकट और इसके अत्यधिक दोहन को कम करने के लिए कई समाधानात्मक उपाय हो सकते हैं। जिसमें कुछ समाधानात्मक उपाय निम्नलिखित है –
- आधुनिक तकनीकों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग आदि का उपयोग करके पानी की खपत को मापा और सीमित किया जा सकता है।
- भारत में जल स्रोतों का विस्तार, जल दक्षता में सुधार, और जल संसाधनों की रक्षा करने से पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- भारत में जल संकट से उबरने और जल संवर्धन के लिए बरीड क्ले पॉट प्लांटेशन सिंचाई जैसे तकनीकी उपायों का भी उपयोग किया जा सकता है जो पानी की बचत और फसल की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता हैं।
- भारत में भारत में जल संकट से उबरने और जल संवर्धन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जल संसाधनों की संरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर नीतियों में सुधार किया जाए और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार किया जाए ताकि पानी की सटीक और सही खपत की सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत में जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
- भारत में जल संग्रहण के विकास का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल की एक-एक बूंद का सरंक्षण, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, मिट्टी की नमी और पुनर्भरण (रिचार्ज) को बढ़ाना, मौसम की प्रतिकूलताओं के बावजूद प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट जल की उत्पादकता को अधिकतम करना है।
- भारत में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहाने वाली नदियां बारहमासी बनी रहें, इसके लिए सरकारी स्तर पर नीति – निर्माण करना और जल संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- भारत के ग्रामीण इलाकों के गांवों में जल बजटिंग और जल ऑडिटिंग की स्पष्ट रूपरेखा बनाने के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र में एक जल बैंक स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।
- जल संरक्षण में भूजल वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर संगोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे।

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौतियाँ :

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान है। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढ कर ही भारत जल संरक्षण : प्रवंधन एवं संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

- जल की मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम करना।
- खाद्य उत्पादन के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्द्धी मांगों के बीच उपयोग को संतुलित करना।
- महानगरों और अन्य बड़े शहरों की बढ़ती मांगों को पूरा करना।
- अपशिष्ट जल का उपचार।
- पड़ोसी देशों के साथ और सह-बेसिन राज्यों आदि में पानी का बँटवारा करना।

निष्कर्ष/ समाधान की राह :

- भारत में जल प्रशासन संस्थानों के कामकाज में नौकरशाही, गैर-पारदर्शी और गैर-भागीदारी वाला दृष्टिकोण अभी भी जारी है। अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश के जल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है।
- यह आवश्यक है कि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की विश्वसनीय जानकारी और उससे संबंधित आँकड़े हमें जल्द-से-जल्द उपलब्ध हों ताकि समय रहते इनसे निपटा जा सके और संभावित क्षति को कम किया जा सके।
- आवश्यक है कि भूजल स्तर को बढ़ाने और भूजल उपयोग को विनियमित करने संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिशीघ्र लिये जाएँ।
- देश में नदियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है और वर्तमान सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास शायद अनुमानित सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इसलिये आवश्यक है कि देश में नदियों की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने हेतु उपर्युक्त नीतियों का निर्माण किया जाए।
- जल पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है और हमें न केवल अपने लिये इसकी रक्षा करनी है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये भी इसे बचा कर रखना है।
- वर्तमान समय में जब भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व जल संकट का सामना कर रहा है तो आवश्यक है कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। भारत में जल प्रबंधन अथवा संरक्षण संबंधी नीतियाँ मौज़ूद हैं, परंतु समस्या उन नीतियों के कार्यान्वयन के स्तर पर है।
- अतः नीतियों के कार्यान्वयन में मौजूद शिथिलता को दूर कर उनके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये

जिससे देश में जल के कुप्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या को संबोधित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. 1. जल संरक्षण : प्रवंधन एवं संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य – सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता को फैलाना या बढ़ाना है।
2. भारत में जल शक्ति अभियान : कैच द रेन – 2024 अभियान ' मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और नेहरु युवा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से को प्रारंभ किया गया है।
3. विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य विषय/ थीम **" शांति के लिए जल का लाभ उठाना "** है।
4. भारत में विश्व जल दिवस 2024 का मुख्य थीम **'नारी शक्ति से जल शक्ति'** था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 1 और 4

(C) केवल 2 और 4

(D) केवल 2, 3 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व जल दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में जल संरक्षण : प्रवंधन एवं संवर्धन का क्य महत्व है एवं इसके राह में आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए और चुनौतियों के समाधान का उपाय बताईए ?